प्रतिलिपि पत्र संख्या-2392/सत्तर-6-2010-2(380)/2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1527/2010 दिनांक 15.06.2010 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन **श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर नगर** को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी एवं इतिहास विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2009-10 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2010 से शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. **घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010-11 के सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता(स्थाई) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता(स्थाई) आदेश निर्गत किये जाएँगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।**
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

पृ0सं0सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 2313 /2010 दिनांक 28/9/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 2010 के अनुपालन में इस आशय से पृष्ठाकिंत है कि प्रश्नगत विषयों का वर्ष 2010 का परीक्षाफल घोषित हो चुका है, जो 60 प्रतिशत से अधिक है । अतः संदर्भित महाविद्यालय को उक्त वर्णित विषयों में **दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता(स्थाई)** प्रदान की जाती है ।
2. प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के उक्त सम्बद्धता में उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज ई.डी.पी. सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव